वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्या :65 /XVII(1)-01/2008-16(बजट)/2004

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लि०,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-01. देहरादून, 25 जनवरी, 2008

विषय : वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुसूचित जनजाति शिल्पी ग्राम योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1652/XXVII(1)-01/2006-16(बजट)/2004, दिनांक 19 दिसम्बर, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुसूचित जनजाति शिल्पी ग्राम योजना के क्रियान्वयन हेतु रूपये 1,00,00,000/- (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।

2. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका/बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

3. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

6. स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाए।

7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक किया जाए।

9. उक्त धनराशि के देयकों का भुगतान शासनादेश संख्या–3428/स.क./2004–359/स.क./2003 दिनांक 28 फरवरी, 2004 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–31" के "आयोजनागत पक्ष" के लेखाशीर्षक–"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–800–अन्य व्यय –13–शिल्पी ग्राम योजना–00" की मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता" एवं 42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–378/XXVII(3)/2007, दिनांक 17 जनवरी 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या :65 (1)/XVII(1)-01/2008–16(बजट)/2004, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।